

जगन्नाथ सिंह,
संयुक्त सचिव, उ०प्र० सरकार ।

निदेशक,
समाज कल्याण, विभाग
उ०प्र०, लखनऊ ।

तख्त नं० दिनांक: ३१ मार्च, १९९२

विषय: अतिरिक्त संख्या में अनुरोधित जाति के पाठ्यपुस्तकें पाठशालाओं और छात्रावासों को आवर्तक सूची में सम्मिलित किया जाना।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 तक पर्याप्त संख्या में पाठशालाओं तथा छात्रावास आदि अनावर्तक आधार पर अनुदान प्राप्त कर रहे थे। धनाभाव में वर्ष 1984-85 से उक्त संस्थाओं को किसी भी प्रकार का अनुदान देना शासन के लिये सम्भव नहीं हो पाया जिससे संस्थाओं, उनके अध्यापकों तथा वन में पढ़ने वाले बच्चों सभी को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसी परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि शिक्षा तंत्र 1991-92 के 57 प्राइमरी पाठशालाओं तथा एक छात्रावासों, कुल 58 संस्थाओं को आवर्तक आधार पर अनुदान देने हेतु अनुमोदित किया जाये। अतः श्री राज्यपाल, अनुमोदित जाति की प्राइमरी पाठशालाओं तथा छात्रावासों की अनुमोदित सूची संलग्न करते हुये वर्ष 91-92 के शिक्षा तंत्र में मार्च 1992 से आवर्तक अनुदान देने हेतु ₹ 8,00,750/- ₹ 80 आठ लाख सात सौ पचास रुपये मात्र की धनराशि वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय करने की अनुमति इस शर्त के आधार पर प्रदान करते हैं कि यह राशि आपके द्वारा आहरित करके जिला समाज कल्याण अधिकारी, लहानऊ के पी०एल०ए० में रखी जायेगी और आवश्यकतानुसार आहरित करके जिलों को आवंटित की जायेगी। शिक्षा संस्थाओं की जो सूची संलग्न की जा रही है उसके अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं की निम्न शर्तों की पूर्ति के बाद ही अनुदान दिया जायेगा। यदि सूची में वर्णित कोई संस्था इन शर्तों को पूरा नहीं करती है तो उसके संबंध में स्थिति से शासन को अवगत कराया जाये-
शर्तें :-

1. जो संस्थाएँ वर्ष 1983-84 तक अनावर्तक आधार पर अनुदान प्राप्त कर रही थीं केवल उन्हीं में से चयनित संस्थाओं को आवर्तक अनुदान दिया जाना है।
2. संस्था का संचालन 10 वर्ष या अधिक अवधि से निरन्तर हो रहा हो।

11. जो संस्थायें वर्ष 1983-84 तक आवर्तक आधार पर अनुदान प्राप्त कर रही थीं वे सब उन्हें में से चयनित संस्थाओं को आवर्तक अनुदान दिया जाना है।
22. संस्था का संचालन 10 वर्ष या अधिक अवधि से निरन्तर हो रहा हो।

§ 3§ संस्था जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी से स्थायी या अस्थायी मान्यता प्राप्त हो ।

§ 4§ संस्था में पढ़ रहे बच्चों में से कम से कम 50 प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जाति/जनजाति के हों ।

§ 5§ संस्थाओं में 40 बच्चों पर एक अध्यापक के मानक तथा 20 अतिरिक्त बच्चे होने पर एक अतिरिक्त अध्यापक के मानक के आधार पर अध्यापक स्वीकृत किये जा रहे हैं ।

§ 6§ संस्थाओं द्वारा अध्यापकों को वेतन का भुगतान शासन द्वारा स्वीकृत मानक/वेतनमान यदि कोई हो के आधार पर ही किया जायेगा ।

✓ § 7§ संस्थाओं द्वारा अनुदान का भुगतान समय-समय पर निर्धारित मानकों के आधार पर ही किया जायेगा ।

§ 8§ इन पाठशालाओं के प्रधानाध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक महिला एवं पुरुषों में से जो प्रशिक्षित हैं, उनके लिये प्रशिक्षित अध्यापक विभाग में वर्तमान में प्रचलित अनुमन्य वेतन और जो अप्रशिक्षित हैं, उनके लिये विभाग में वर्तमान में प्रचलित नियत अनुमन्य वेतन का अनुदान दिया जायेगा ।

✓ § 9§ कार्यरत अध्यापकों के पदों के रिक्त होने वाले पदों पर तथा कार्यरत अध्यापकों के अतिरिक्त शेष पदों पर नियुक्तियों बिना शासन के आदेशों के नहीं की जायेगी । अन्य अनुमन्य अध्यापकों में आरक्षण कोटा पूर्ण होना सुनिश्चित किया जायेगा ।

§ 10§ पहले से कार्यरत अध्यापक के स्थान पर यदि किसी अन्य अध्यापक का नाम जिला से निदेशालय/शासन को भेजा गया है तो पूर्व कार्यरत अध्यापक/अध्यापकों के वेतन का अनुदान या ही भुगतान किया जायेगा और विवाद की स्थिति में अनुदान को भुगतान शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा ।

§ 11§ इस आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा ।

2- इन आदेशों के निर्गत होने के बाद निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०/मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य द्वारे से कोई आदेश निर्गत/प्रारित नहीं किये जायेंगे जिनसे इस आदेश में निहित उद्देश्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

3- उपर्युक्त व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-92 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनागत-01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-07-हरिजन सहायक विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार § जिला योजना-19-सहायक अनुदान/अनुदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा तथा-र० 1200लाख प्राविधान से वहन किया जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अग्रासकीय संख्या-ई-786/वस-92
दिनांक 3-3-92 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- उपर्युक्त।

भावदीय,

EO/-

जगन्नाथ सिंह
संयुक्त सचिव।

पु0सं0- 1386/26-3-92 तददिनांक।

प्रेषित:- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- सम्मत मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, 3050।
- 4- महालेखाकार, आडिट प्रथम, लेखा प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 5- कोषाधिकारी, बैंकाना।
- 6- संबंधित संस्थाएँ।
- 7- वित्तद्वय नियंत्रण, अनु0-12
- 8- नियोजन अनुभाग-3

आज्ञा से,

EO/-

जगन्नाथ सिंह
संयुक्त सचिव।

विद्यालय एवं पुर्वधाक का नाम	छात्रों की सं०	अनुमन्य	अध्यापक
सर्वश्री	अनु०	जाति	कुल
2	3	4	5

जनसं० मं०

- 1- सत्यम शिवम् हायर सै० पु० पा० नन्दपोखरा,
मऊनाथ भोजन मं० पु०-मुता फिर राम 347/525 13
- 2- श्री सन्त रैदास हरि० पु० पा० स्वस्मनगर
मुदाानी, सरसेना, मऊ पु०-बट्टी राम 255/413 10
- 3- श्री दुर्गा जी नवयूग विद्या मंदिर पारा,
कुरथी, जाफरपुर, मऊ पु०-श्रीमती पार्वती 280/454 11
- 4- अम्बेडकर पाठशाला समिति, कनक चक,
चिरइया कोट मऊ पु०-जितनू राम 238/362 9
- 5- आदर्श जूनियर सै० विद्यालय घुरपाछुर्द हथिनी
मऊ पु०-वीरेन्द्र कुमार 551/665 17
- 6- आदर्श हरिजन बाल विद्यालय छा लिसपुर
अदरी मऊ पु०-श्री नाथ 351/475 12
- 7- इंदिरा गांधी एवं मनाजी हरि० कन्या पु०
पा० नन्दपोखरा मऊनाथ भोजन, मऊ पु०-मुता फिर राम 247/368 9
- 8- पुरुषोत्तम अम्बेडकर यांत्रिक पु० विद्या मोहम्मद बाद
गोहना मऊ देविकी राम 304/440 11
- 9- आदर्श डाक्टर अम्बेडकर शिक्षा निकेतन पु०
पा० छाल्ला रकौली मऊ पु०-शान्ति भूषण 296/443 11
- 10- पुंझमरी पाठशाला, रजपुरा भाँपौरा, मऊ
पु०- नवी अहमद 385/720 18
- 11- श्री चण्डीदास आदर्श पु० पा० फरीदपुर मोहम्मद
दाबाद, गोहना मऊ पु०-सल्लू राम 209/378 9
- 12- हरि० कन्या पु० स्कूल, भुजही सहस्रपुर मऊ
पु०-राम सेवक शर्मा 183/326 8
- 13- हरि० बालिका पु० स्कूल, नगरीपार बन्दीकला,
मऊ पु०-राम सेवक शर्मा 211/363 9
- 14- अम्बेडकर विद्यालय गोपालपुर, छासी, मऊ
मंजूर अहमद 206/320 8
- 15- गोवरिया अम्बेडकर शिक्षण संस्थान
गोवरिया, मऊ पु०-विजय बहादुर सिंह 275/400 10
- 16- वैदिक सरायतादी जनता सेवा संस्थान पु० वि०
सरायतादी, विजपुरा, मऊ पु०-राधा कृष्ण चौहान 368/593 15
- 17- बाल्या दारिद्र्यदात आदर्श हरि० पु० पा० दर्पनारथन
पुर, मऊ पु०-केदारनाथ यादव 351/495 12
- 18- आदर्श हरि० पु० पा० देवनाथपुर उन्हरा
मऊ पु०-श्री गौरी शर्मा 325/482 12

जनपद आजमगढ़

- 19- हरि०प्रा०प्रा०मुकुन्दगाम, आजमगढ़
१५०- तिलधारी 194/289 7
- 20- प्राइमरी बाल विद्यालय पल्हनी सरवर,
आजमगढ़ १५० अमर राम 124/242 6
- 21- आदर्श शिक्षा परिसर, जिगर सन्डी,
आजमगढ़ १५०- रामशंकर 250/440 11
- 22- डा० अम्बेडकर स्मृति पाठशाला, पुरसुडी
उदियावा, आजमगढ़ १५०- लौहर राम 220/308 8
- 23- डा० अम्बेडकर प्रा०प्रा०चन्दौ बरह, आजमगढ़
१५०- सम्मतराम 157/272 7
- 24- प्रबुध अम्बेडकर स्मारक हरि०प्रा०प्रा०शाला
बनकट, लेदौरा, प्रा०प्रा०प्रा० ठिठर, पदटी,
आजमगढ़ १५०- शान्त राम 386/593 15
- 25- हरि०प्रा०प्रा०जमीन, मुहम्मदपुर, विरही,
आजमगढ़, १५०- धर्मराज 253/473 12
- 26- श्री बाबा साधुवराम, प्रा०प्रा०कोइनहा,
बड़सरा, छादसा, आजमगढ़ १५०- दया शंकर यादव 263/443 11
- 27- काशी विद्या मंदिर हाजीपुर, बम्हौरा, आजमगढ़
१५०- वित्तन यादव 234/442 11

जनपद गाजीपुर

- 28- डा० श्रीमराव अम्बेडकर शिक्षा निकेतन
बबरखावा, मगरीपदटी, गाजीपुर,
१५०- धर्मराज 112/248 6
- 29- हरिजन स्वावलम्बी प्रा०प्रा०भवानीपुर
प्रा० तराव, गाजीपुर १५०- अमरनाथ सिंह यादव 206/327 8
- 30- हरि०मोत्तर विद्यालय, धानौता जमनिया,
गाजीपुर १५०- सीताराम 82/158 4
- 31- देवस्थान हरि०प्रा०प्रा०डिहवां वासुदेवपुर,
गाजीपुर १५०- रामजन्म शर्मा 213/421 11

जनपद जालौन

- 32- डा० अम्बेडकर प्रा०प्रा०आटा, जालौन १५- तिलकधर 157/265 7
- 33- शांति निकेतन हरि०बाल मंदिर नया रामनगर,
उरई जालौन १५०- कृष्ण बल्लभ 152/246 6
- 34- श्री सतगुरु संत कबीर प्रा०प्रा०बौध जालौन
१५०- महन्त अधिकारी दास 101/117 11
- 35- जमनीबन राम आदर्श हरि०प्रा०प्रा०डंगरापुरवा
बल्लान, पादा १५०- रामेश्वर पुताद 88/153 10
- 36- श्री रामानुज प्रा०बाल विद्यालय उरई,
जालौन १५०- धर्मराजित सिंह 304/557 14

1	2	3	4	5
51-	मीनू पटोसूल, जूही, लाल कालौनी, कानपुर नगर पु-मीनू तिवारी	114/193	5	
52-	तुलता देवी पटोसूल, 130/321, अजीतगंज, कानपुर पु-राधाकृष्ण	155/293	7	
53-	अन्त्योदय पटोपाठ 12/44, ग्वालदोबी, कानपुर नगर पु-सनदकुमार	265/477	12	
<u>जनपद-देवरिया</u>				
54-	श्री योगीराज, देवरहा बाबा हरिपटोपाठ मुसहला, वजुर्ग, सलेमपुर देवरिया पु-रामचन्द्र प्रसाद	520/711	18	
55-	श्री सीताराम, हरिपटोपाठ सेलहरापुर, बीजापुर, झंगटौर, देवरिया पु-राजदेव	286/480	12	
56-	वैदिक हरिपटोपाठ पिपरानायक, नारायनपुर, देवरिया पु-रामदेव प्रसाद	215/305	8	
57-	चन्द्रशेखर-हरिपटोपाठ रजडीहा, सलेमपुर, देवरिया पु-जनकदेवराय	230/435	11	

आवर्तक अनुदान हेतु छात्रावास की सूची :-

क्र०सं० छात्रावास का नाम

प्रबन्धक का नाम

1- जनपद-जालौन

1- STO अम्बेडकर छात्रावास, कालपी, जालौन

श्री ज्योति प्रसाद

₹0/-

॥ जगन्नाथ सिंह ॥
संयुक्त सचिव ।